श्री [illegible] द्वारा पेश किया। रिपोर्ट शामिल
ली गई। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली
दि. 3/5/21 को पेश हो।

3/21 पत्रावली (आज) के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली खोल
पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादी। की ओर
नाथूलाल नागर ने वकालतनामा व राजीनामा
पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी ... ने स्वयं
उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी की
पहचान वकील वादी ने एवं प्रतिवादी
की पहचान वकील प्रतिवादी ने की। पक्षकारान
ने राजीनामा पढ़कर (सुनकर समझ)
पक्षकारान द्वारा राजीनामे पर सहमति
व्यक्त की गई। राजीनामा तस्दीक किया
जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
तदुपरान्त वकील वादी द्वारा वादपत्र की
सतथ्य वादपत्र में वर्णित तथ्यों को
दोहराते हुए राजीनामे के आधार पर
वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।
मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से
अवलोकन किया गया। पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ... हुक्म की तामील मे...
	बाबत अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर एक रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 11/2021 तारीख दायरा 03.02.2021

उनवान

रामहेत पुत्र हरलाल जाति गूजर निवासी किशन पुरा तह. अटरू जिला बांरा। —वादी

बनाम

1. राजदयाल पुत्र हरलाल जाति गूर्जर निवासी किशनपुरा तहसील अटरू जिला बांरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :— 31.03.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील वादीगण)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 दोनों सगे भाई हैं तथा दोनों के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम बूढनहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के माल में निम्नलिखित आराजी स्थित है।

—:: विवरण आराजी ::—

खाता सं0	कम सं0	खसरा नं0	रकबा
77	1	132	0.33
		136	0.12
		139	2.32
		3 किता	2.77 हैक्टर

वादी एवं प्रतिवादीगण सगे भाई हैं तथा दोनों ने अपनी राजीनामा पारिवारिक विभाजन कर मौके पर आराजी पृथक–पृथक काश्त कर रहे हैं तथा दोनों पक्षों के बीच निम्न प्रकार आपसी पारिवारिक विभाजन हो रहा है–

1. वादी रामहेत के हक में आई आराजी विवरण–

खाता सं0	कम सं0	खसरा नं0	रकबा
77	1	132	0.33
	2	136	0.12
	3	139	0.99
		3 किता	1.44 हैक्टर

खसरा नंगर 132 एवं 136 से लगी हुई

2. प्रतिवादी रामदयाल के हिस्से में आई आराजी का विवरण–

खाता सं0	कम सं0	खसरा नं0	रकबा
77	1	139	2.32

1.32 हैक्टर आराजी खसरा नं0 138 से लगी हुई पूर्वी तरफ की।

वादी एवं प्रतिवादी आराजी कि किस्म मुताबिक आराजी काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी सं.1 ने आराजी की किस्म के हिसाब से बंटवारा करके आराजी पृथक–पृथक काश्त कर रहे हैं तथा रिकार्ड में आराजी शामलाती दर्ज होने से वादी को अपनी आराजी में विक्रय करने एवं ऋण आदि लेने में परेशानी उठानी पड रही है। जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह वाद पत्र में वर्णित अनुसार आराजी का खातेदार पृथक से घोषित करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अमल दायर करवाये जिसके लिये प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय डिक्री जारी फरमाया जावे :–

वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादी को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त आराजी को वादी को पृथक से खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अमल दायर फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया अतः प्रतिवादी सं. 2 का जवाब बंद किया जाता है।

2

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वाद वादी को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। वकील वादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया, सभी पक्षकारान ने राजीनामे पर सहमति व्यक्त की। तदउपरान्त वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम बूढनहेडा पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की आराजी में राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

1. वादी रामहेत के हक में आई आराजी विवरण–

खाता सं0	कम सं0	खसरा नं0	रकबा
77	1	132	0.33
	2	136	0.12
	3	139	2.32 में से 0.99
		3 किता	1.44 हैक्टर

खसरा नंगर i32 एवं 136 से लगी हुई

2. प्रतिवादी रामदयाल के हिस्से में आई आराजी का विवरण–

खाता सं0	कम सं0	खसरा नं0	रकबा
77	1	139	2.32 में से 1.33 हैक्टर आराजी

खसरा नं0 138 से लगी हुई पूर्वी तरफ की।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद